भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1579

(01 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के तहत पर्यटन और जनजातीय विकास को बढ़ावा देना

1579. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनजातीय क्षेत्रों में 1,000 होमस्टे को बढ़ावा देने वाली प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएमजेयूजीए) की पहल के मद्देनजर , सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाओं को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के साथ किस प्रकार एकीकृत करने की योजना बना रही है; और

(ख) यह देखते हुए कि पीएमजीएसवाई के तहत बेहतर सड़क संपर्क से जनजातीय क्षेत्रों में बाजारों और सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है , सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय लागू किए हैं कि जनजातीय समुदाय उन्नत बुनियादी ढांचे से आर्थिक रूप से लाभान्वित हों?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय, 11 सितंबर 2024 को शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-IV के साथ समन्वय में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के सड़क संपर्कता घटक का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमजीएसवाई-IV का उद्देश्य 2011 की जनगणना के मानदंडों के आधार पर सम्पर्क विहीन 25,000 बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करना है।

जनजातीय विकास और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की 1,000 होमस्टे स्थापित करने के लक्ष्य जैसी पहलों में सहायता करने के लिए , पीएमजीएसवाई-IV के दिशानिर्देशों में उन बसावटों को प्राथमिकता दी गई है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती हैं:

- 500+ आबादी और 50% या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति (एसटी) आबादी वाली बसावटें
- आकांक्षी जिलों में 250+ आबादी श्रेणी में 50 या इससे अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाली बसावटें

पीएमजीएसवाई के तहत पात्र बसावटों की प्राथमिक पहचान के लिए एक विस्तृत जमीनी सर्वेक्षण किया गया है। दिनांक 28 जुलाई 2025 तक, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 296.301 किलोमीटर लंबाई वाली 62 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। पीएमजीएसवाई सड़कें आदिवासी होमस्टे तक पहुँच को सुगम बनाएँगी , ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देंगी और दूरदराज के इलाकों में आर्थिक अवसर प्रदान करेंगी।

(ख): यद्यपि , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) व्यक्तिगत समुदायों पर लक्षित योजना नहीं है, फिर भी आदिवासी क्षेत्रों में इसका प्रभाव व्यापक रहा है। बेहतर सड़क संपर्कता ने निम्नलिखित तक पहुँच को बढ़ाया है:

- जनजातीय उत्पादों और वन उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने वाले बाजार।
- यात्रा समय में कमी और संस्थागत प्रसव में वृद्धि करने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
- स्कूलों और छात्रावासों तक पहुँच में सुधार करके शिक्षा सुविधा।
- बैंकिंग, सामाजिक सुरक्षा और ई-गवर्नेंस सहित सरकारी सेवाएँ।

कई स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकनों से यह निष्कर्ष निकला है कि पीएमजीएसवाई के कारण:

- ग्रामीण आय और रोजगार के अवसरों में सुधार हुआ है।
- जनजातीय समुदायों की गतिशीलता और एकीकरण में वृद्धि हुई है।
- शिक्षा और बाज़ार में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

पीएमजीएसवाई दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करके , एक विकास गुणक के रूप में कार्य करता है - आदिवासी क्षेत्रों की आर्थिक क्षमता में विकास के अवसर प्रदान करता है और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी प्रमुख पहलों के लिए पूरक के रूप में कार्य करता है । यह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़क संपर्कता के लाभ से जनजातीय समुदायों का समावेशी और सतत विकास हो सके।

***